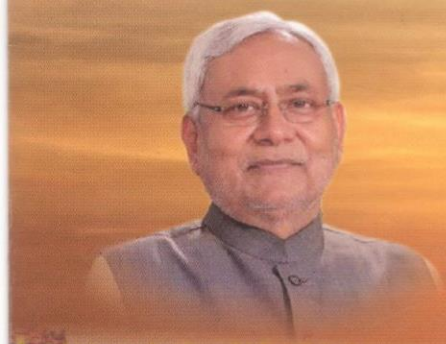

बिहार सरकार

महिला सशक्तीकरण

बिहार सरकार की विशेष पहल

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
बिहार सरकार

महिला सशक्तीकरण

महिलाओं के लिए आरक्षण

- ✓ वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थानों एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं के लिए **50 प्रतिशत आरक्षण** दिया जा रहा है।
- ✓ प्राथमिक शिक्षक नियोजन में **50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है।**
- ✓ राज्य में पहली बार **महिला बटालियन** का गठन किया गया है। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक–एक **महिला थाना की स्थापना** एवं इस हेतु विभिन्न कोटि के 647 पदों का सृजन किया गया है।
- ✓ राज्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए **स्वाभिमान बटालियन** का गठन किया गया है।
- ✓ पुलिस बल में सिपाही से अवर निरीक्षक तक के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए **35 प्रतिशत आरक्षण** की व्यवस्था की गई है। अब तक पुलिस बल में अनुशंसित 12,360 पदों के विरूद्ध कुल 3701 महिलाओं की नियुक्ति हुई है, जिसमें 3672 महिला सिपाही तथा 29 चालक सिपाही हैं।

- ● **आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार** निश्चय के तहत सरकार के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अब तक अनुशंसित 3205 पदों के विरुद्ध कुल 807 महिलाओं की नियुक्ति की गई है।

जीविका–बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना

- ✓ बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं गरीबी उन्मूलन के लिए जीविका एक सशक्त कार्यक्रम है। वर्ष 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (जीविका) को प्रारंभ किया गया। यह वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में लागू है।
- ✓ जीविका के अंतर्गत गरीबों के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जीविका के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ और वे अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं। 7 निश्चयों में शामिल कौशल विकास गतिविधियों से जीविका समूह की महिलाएँ जुड़कर अपने को हुनरमंद बना रही हैं।
- ✓ जीविका के समूह सदस्यों के प्रयास का परिणाम है कि आज बिहार में शराब का उपभोग प्रतिबंधित है तथा खुले में शौच से मुक्ति हेतु लोग संकल्पित हो रहे हैं।
- ✓ जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष तक 88.16 लाख परिवारों को आच्छादित करते हुए महिलाओं के 8.15 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा 50023 ग्राम संगठन एवं 820 Cluster Level Federations कार्यरत हैं। अब तक 6.02 लाख स्वयं सहायता समूहों का बैंक से संबद्ध किया गया है।
- ✓ जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की स्वयं की बचत राशि 739 करोड़ रुपये है।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

- ✓ सर्व शिक्षा अभियान के तहत् अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उदेद्श्य से तालीमी मरकज वर्ष 2008–09 से दिसंबर 2012 तक संचालित किया गया। राज्य में 20,000 उत्थान केन्द्र टोला सेवक तथा 10,000 तालीमी मरकज शिक्षा स्वयं सेवी के माध्यम से संचालित किए गए।
- ✓ कालांतर में राज्य सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य इन वर्गों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देना एवं समुदाय के बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी करा कर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाते हैं। इसके साथ ही वे

15–45 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने एवं बाद में टोलों में सम्पर्क का कार्य भी करते हैं।

- ✓ टोला सेवक और शिक्षा स्वयं सेवी के द्वारा अब तक 26 लाख 25 हजार 768 बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने के साथ–साथ 30.53 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा तथा 12.51 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को साक्षर बनाया गया है।
- ● वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की महिलाओं के साक्षरता दर में 20 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज हुई, जिसके कारण बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
- ● **हुनर** एवं **औजार** कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 1,21,700 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

- ✓ राज्य में 535 **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय** संचालित हैं, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग की 50,581 छीजनग्रस्त बालिकाएँ आवासीय सुविधा के साथ मध्य विद्यालयों में कक्षा 6–8 तक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
- ✓ 500 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सभी बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स की तीन विधाओं यथाः जूडो–कराटे, ताइक्वांडो एवं वुशु में प्रशिक्षित किया गया।

मुख्यमंत्री पोशाक योजना

- ✓ इस योजना के अंतर्गत वर्ग 1–2 के छात्र–छात्राओं को पोशाक हेतु 400 रु० तथा वर्ग 3 से 5 में नामांकित छात्र/छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु 500 रु० उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ✓ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ग 1–2 में पढ़ने वाली बालिकाओं को दी जाने वाली 400 रु० की राशि को बढ़ाकर 600 रु० तथा वर्ग 3–5 में पढ़ने वाली बालिकाओं को दी जाने वाली 500 रु० की राशि को बढ़ाकर 700 रु० कर दी गई है। इस योजना की जानकारी http://www.educationbihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

- ✓ इस योजना अंतर्गत वर्ग–6 से 8 में नामांकित छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु 700 रु० बैंक खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था। अब इस राशि को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 1000 रु० कर दिया गया है।
- ✓ **मुख्यमंत्री पोशाक योजना/ मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 1–8 कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत 87 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

- ✓ वर्ग 9 से 12 की छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा 1000 रु० उनके बैंक खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब बालिकाओं को 1500 रु० की राशि दी जा रही है।
- ✓ बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में कुल 13,90,415 छात्राओं को पोशाक के लिए 139.41 करोड़ रू. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना

- ✓ राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साईकिल क्रय करने हेतु 2500 रु० उनके बैंक खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा था। अब इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।
- ✓ वर्ष 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में नियमित रूप से

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह–सवेरे।

अध्ययनरत 66.27 लाख से अधिक बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

- **कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं** को वर्ष 2017–18 में लगभग 1 अरब 95 करोड़ रुपये की **प्री–मैट्रिक छात्रवृति** का वितरण जिलों में कैम्प लगा कर किया गया।
- **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत छात्राओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2009–10 से अब तक 2 लाख 20 हजार से अधिक छात्राएं आच्छादित हुई हैं। इस योजना की जानकारी http://www.educationbihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं वर्ग की वार्षिक परीक्षा में 2005 में बालक एवं बालिकाओं का अनुपात 67:33 था, जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के उपरांत वर्ष 2016–17 में 51:49 हो गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- ✓ इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इसके तहत बी०पी०एल० परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000 रुपए तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000 रुपए का भुगतान कन्या के नाम चेक / डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है।
- ✓ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 14,44,062 से अधिक कन्याओं को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

- ✓ 2007–08 मे राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ लिंग अनुपात में वृद्धि लाना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना था। वर्ष 2017–18 तक इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 17,70,402 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। अब आगे कन्या उत्थान योजना के माध्यम से बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति–2015

- ✓ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास के मुख्य धारा में लाने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत तथा राज्य सरकार के सुशासन के कार्य सूची में दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप राज्य में बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति–2015 लागू की गई है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

- ✓ समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआ–छूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया।
- ✓ इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने हेतु 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- **महिला विकास निगम** का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 में किया गया है। निगम द्वारा आर्थिक सशक्तीकरण हेतु दीर्घकालीन आजीविका को प्रोत्साहन, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण एवं सेवा प्रक्षेत्र में प्रशिक्ष नियोजन हेतु पहल, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं प्रोत्साहन, महिला अधिकारों एव उनसे संबंधित मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक सशक्तीकरण एवं क्षमता विकास, महिलाओं के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाली संस्थाओं का गठन, पोषण एवं विकास, महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन आदि का कार्य किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी http://socialwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

महिला सशक्तीकरण

महिला हेल्पलाईन

- ✓ समाज की पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क सामाजिक–मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता एवं पुनर्वास आदि प्रदान करने उद्देश्य से राज्य के सभी 38 जिलों में महिला हेल्पलाईन संचालित है। हेल्पलाईन योजना का मुख्य उद्देश्य हिंसा एवं अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, प्राथमिकी दर्ज करने में सहयोग तथा आवश्यक परिस्थिति में अल्पकालीन आश्रय की सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक 54763 से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं।
- ✓ अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1986 हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद–फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु वर्तमान में 20 जिलों में अल्पावास गृह का सफल संचालन किया जा रहा है। मई 2018 तक कुल 14411 पीड़िताओं को आश्रय प्रदान किया तथा 4841 संवासिनों को सफलतापूर्वक पुर्नवासित किया गया।

कामकाजी महिला छात्रावास

- ✓ मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के पांच प्रमंडलीय मुख्यालय यथाः पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जानी है इसके लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने घर–परिवार से दूर रह कर आर्थिक उपार्जन कर आत्मनिर्भर हो सकें।

- **किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला कार्यक्रम)**: 11–18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ–साथ पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु राज्य के सभी जिलों में 01 अक्टूबर, 2017 से लागू किया गया है। पूर्व में यह वर्ष 2012 से 12 जिलों में लागू था जिसके तहत 16 लाख किशोरी लाभान्वित हुई हैं।
- **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** का लाभ 40–79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला जो बी०पी०एल० परिवार से संबंधित हो, को प्रतिमाह 400 रुपये एवं 79 वर्ष आयु से अधिक की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500 रूपये दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 5.85 लाख है।
- **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला को जिसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो या बी०पी०एल० परिवार से संबंधित हो, को प्रतिमाह 400 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 6.16 लाख है। इसकी विस्तृत जानकारी http://socialwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

विधवा पुनर्विवाह अनुदान

- ✓ गृह विभाग के तहत सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अनुदान– भूतपूर्व सैनिक (जे० सी० ओ० एवं इसके समतुल्य रैंक के स्तर तक) के मृत्योपरांत उनके विधवा का पुनर्विवाह हेतु अनुदान के रूप में 1,00,000/–रु० की राशि विधवा के माता–पिता को विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड) से देने का निर्णय लिया गया।

सामाजिक पुनर्वास कोष

- ✓ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर 'सामाजिक पुनर्वास कोष' की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक एवं अपराधिक हिंसा, मानव–व्यापार, डायन प्रथा आदि से पीड़ित महिलाओं एवं उनके पाँच वर्ष के आश्रित बच्चों के चिकित्सीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब तक कुल 1610 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। इसकी विस्तृत जानकारी http://socialwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 180 03456268 या 15545 पर करें।

रक्षा गृह

- ✓ मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के सामाजिक सशक्तीकरण उपघटक के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 50 शैय्या वाले रक्षा गृह के संचालन का प्रावधान किया गया है। अनैतिक मानव पणन प्रतिषेध अधिनियम की 1986 (Immoral Trafiic Prevention Act, 1986), घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिलाओं को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण तथा पुनर्वास रक्षा गृह का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी विस्तृत जानकारी http://socialwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

181 टॉल फ्री महिला हेल्पलाईन नम्बर

- ✓ महिला विकास निगम मुख्यालय में 24X7 कॉल की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 181 टॉल फ्री महिला हेल्पलाईन नम्बर की व्यवस्था की गई है, जिसमें अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018 तक कुल 170508 कॉल रिसीव किये गए हैं।
- **बिहार राज्य महिला आयोग**–इस आयोग का गठन महिला जागृति, उनके अधिकार सुनिश्चित करने, महिला प्रताड़ना तथा महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने तथा सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु किया गया है।

अन्यान्य

- ✓ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से **जेन्डर बजटिंग** की शुरुआत की गई। इसमें सभी संबंधित विभागों द्वारा महिलाओं के लिए किए गए बजट उपबंध को योजनावार दर्शाया गया है। जेन्डर बजट का प्रमुख उद्देश्य समाज में उत्पन्न असमानताओं को दूर कर महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- ✓ बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017 के तहत प्रति स्टार्ट–अप 10 लाख रु० तक 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त लोन बीज निवेश सहायता हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दिया जा रहा है। ऐसे निवेशों में महिला उद्यमी को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- ✓ विकसित बिहार के निश्चय 'अवसर बढ़े, आगे पढ़ें' के तहत राज्य के सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं जी०एन०एम० संस्थान एवं सभी अनुमंडलों में ए०एन०एम० संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान

- ✓ राज्य सरकार ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध 02 अक्टूबर, 2017 से व्यापक अभियान का 02 अक्टूबर, 2017 को शुभारम्भ किया गया। इस दिन राज्य में लगभग 2.42 करोड़ लोगों द्वारा बाल विवाह न करने एवं दहेज न लेने की शपथ ली गई। इस कार्यक्रम में गांव की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधि, विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं तथा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों के कर्मी शामिल थे।
- ✓ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध अभियान के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य के सभी 534 प्रखण्ड में जागरूकता रथ चलाने के साथ ही कुल 16,932 स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन, 8,46,600 स्थानों पर दीवार लेखन एवं लगभग 5000 सेवा प्रदाताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरूओं का संवेदीकरण किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत दीपावली के अवसर पर प्रत्येक जिला के 5 महादलित टोलों में बाल विवाह एवं दहेज मिटायें खुशहाली का दीपक जलाएं नामक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। बाल दिवस के अवसर पर राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के 2 विद्यालयों तथा प्रत्येक प्रखण्ड के 1 महादलित टोलों में क्रमशः साइकिल रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।

नई पहल
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

- ✓ राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण–स्वास्थ्य–शिक्षा–स्वावलंबन पर आधारित मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित

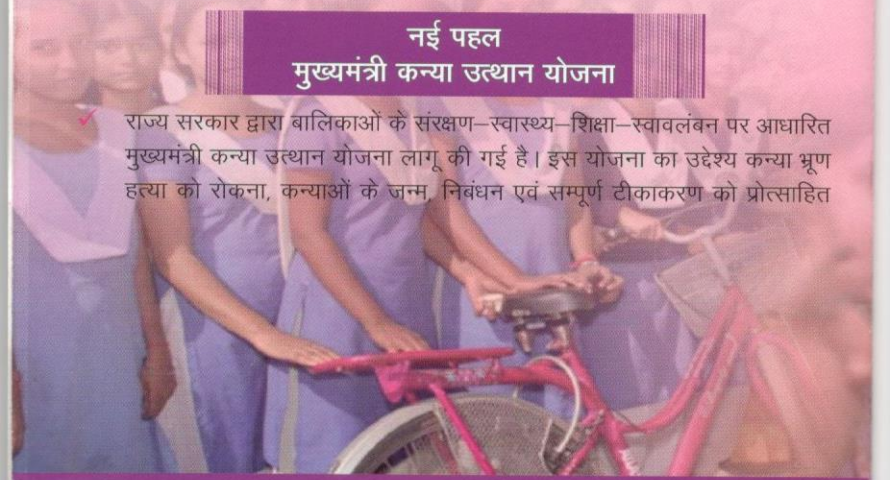

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल–विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाने में भी सहायक होगी।

- ✓ यह योजना Universal Coverage आधारित अर्थात् राज्य की सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने के लिए होगी। इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चों तक सीमित रहेगा।
- ✓ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत

समाज कल्याण विभाग द्वारा

- ✓ कन्या के जन्म पर माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000 रुपए
- ✓ 1 वर्ष पूरा होने तथा आधार पंजीयन कराने पर माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 1000 रुपए दिया जायेगा तथा,

स्वास्थ्य विभाग द्वारा

- ✓ 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कन्या के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000 रुपए दिया जाएगा।
- ✓ शिक्षा विभाग द्वारा
- ✓ इस योजना के तहत राज्य में बालिकाओं की विभिन्न पोशाक योजनाओं में प्रावधानित राशि में वृद्धि की गई है–
- ➢ वर्ग 1–2 के लिए पोशाक की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए,
- ➢ वर्ग 3–5 के लिए पोशाक की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए,
- ➢ वर्ग 6–8 के लिए पोशाक की राशि 700 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तथा
- ➢ वर्ग 9–12 के लिए पोशाक की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया है।
- ✓ मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम में (सैनेटरी नैपकीन के लिए) 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए किया गया है। यह राशि 7–12 वर्ग की बालिकाओं को देय होगी।
- ✓ मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के तहत अविवाहित इन्टरमीडिएट (+2) उत्तीर्ण बालिकाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में दिया जायेगा।
- ✓ मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उतीर्ण बालिकाओं को 25,000 रुपए उनके खाते में दिया जायेगा।
- ✓ इस प्रकार इन सभी योजनाओं से समेकित रूप से एक कन्या को जन्म से स्नातक होने तक कुल 54,100 रुपए तक मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त छात्राओं के लिए क्रियान्वित अन्य योजनाएँ जैसे– छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, कन्या विवाह योजना आदि पूर्व के भांति चलती रहेगी।

- ● **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहनछत्र योजना** के तहत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में आंशिक संशोधन करते हुए वैसे तेजाब पीड़ित के मामले में जो बिहार का मूल निवासी हो या तेजाब हमला की घटना बिहार में हुआ हो, को पेंशन देने हेतु दिव्यांगता की न्यूनतम अहर्ता 40 प्रतिशत की शर्त को हटा दिया गया है।
- ● **बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत** आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने हेतु अधिकतम चार लाख रुपये तक ऋण राशि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। **महिला आवेदकों को मात्र 1 प्रतिशत सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।**

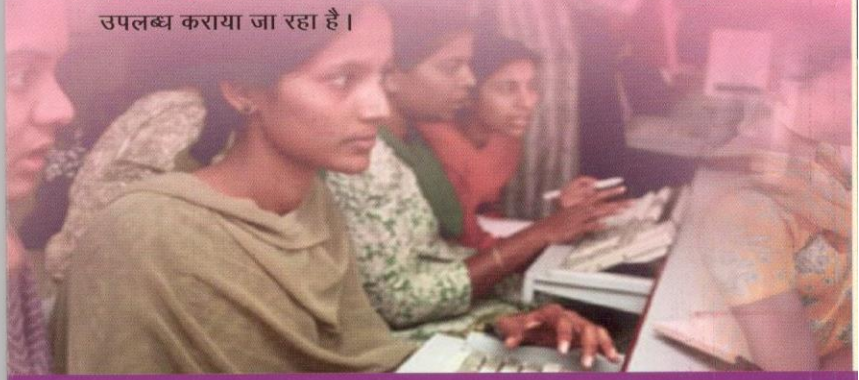

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण–स्वास्थ्य–शिक्षा–स्वावलंबन पर आधारित ''मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना'' लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकारण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल–विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाने में भी सहायक होगी।

₹ 2000/-	₹ 1000/-	₹ 2000/-	₹ 600/-	₹ 700/-	₹ 1000/-	₹ 1500/-	₹ 10,000/-	₹ 25,000/-
कन्या के जन्म पर	कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं आधार पंजीयन कराने पर	कन्या के 2 वर्ष पूर्ण होने पर (टीकाकरण उपरान्त)	प्रतिवर्ष वर्ग 1–2 (पोशाक)	प्रतिवर्ष वर्ग 3–5 (पोशाक)	प्रतिवर्ष वर्ग 6–8 (पोशाक)	प्रतिवर्ष वर्ग 9–12 (पोशाक)	इंटरमीडियट उत्तीर्ण करने पर (अविवाहित)	स्नातक उत्तीर्ण करने पर

₹ 300/- प्रतिवर्ष
वर्ग 7–12
(किशोरी स्वास्थ्य योजनांतर्गत सेनेटरी नैपकीन हेतु)

बेटियों को संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन

यह योजना राज्य के कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने के लिए होगी। इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चों तक सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएँ जैसे– छात्रवृति योजना, साईकिल योजना, कन्या विवाह योजना के तहत लाभ कन्याओं के पूर्व की भांति मिलता रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 181 अथवा समाज कल्याण निदेशालय के दूरभाष 0612–2211718 पर संपर्क करें!

Design & Printed by Patna Offset Press, Patna # 9693202981